परिशिष्ट - अ

Institute of Advanced Studies in Education, Jabalpur (M.P.)
Govt. College of Education, (P.S.M.)
प्रगत शैक्षिक अध्ययन संस्थान, जबलपुर
(पूर्व शासकीय शिक्षा महाविद्यालय)

प्रश्न [1171]

दूरभाष : 0761-4003376
[11/8/2021]
ई-मेल : iasejbp2020@gmail.com
iascjbp883@rediffmail.com
वेबसाइट : www.iasejabalpur.org
पता : कलेक्ट्रेट परिसर के सामने, घंटाघर रोड, जबलपुर - 482001

क्रमांक / आई.ए.एस.ई. / जांच / 2021 / 309 जबलपुर दिनांक : 20 / 07 / 2021

आदेश

दैनिक भास्कर जबलपुर में दिनांक 20 / 06 / 2021 में प्रकाशित समाचार एवं अन्य समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचार के आधार पर मृत शिक्षको कों उपस्थिति प्रमाण पत्र दिये जाने का मामला प्रकाश में आया। प्रकरण को गम्भीरता पूर्वक लेते हुऐ संस्थान स्तर पर जॉच हेतु समिति का गठन किया गया। जिसमें निम्नलिखित सदस्य रखे गये :–

क्र.	नाम	पद
1	डॉ. सावित्री शर्मा	प्राचार्य हायर सेकेण्डरी स्कूल
2	श्री अक्षय तिवारी	प्राचार्य हायर सेकेण्डरी स्कूल
3	डॉ. ए.एन. माथुर	वरिष्ठ व्याख्याता
4	डॉ. चित्रा शर्मा	वरिष्ठ व्याख्याता
5	श्री जी. पी. यादव	व्याख्याता
6	श्री अमित मिश्र	सहायक ग्रेड 3

समिति के द्वारा उपरोक्त प्रकरण की जांच की गई। जिसके निष्कर्ष निम्नवत है :–

(1) समिति के द्वारा जांच में यह पाया कि मृत शिक्षक बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर (सेक्शन ए) के है। बी.एड. चतुर्थ सेमेस्टर (सेक्शन ए) की कक्षा आचार्य श्रीमती सुनीता जैन है। मृत शिक्षक जिनकी उपस्थिति दी गई उनके नाम के नाम –धनपत सिंह ठाकुर, गंगाराम रजक एवं दुर्गा बिसेन है। कक्षा आचार्य के द्वारा उपस्थिति पत्रक दिनांक 16 अप्रैल 2021 से 15 मई 2021 तक की जारी किया गया है। श्रीमती सुनीता जैन द्वारा मूल उपस्थिति पत्रक प्रस्तुत नहीं किया गया। जिससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उपस्थिति पत्रक पर प्राचार्य के हस्ताक्षर नहीं है। समिति ने यह पाया कि श्रीमती सुनीता जैन ने प्राचार्य के हस्ताक्षर कम्प्यूटर से स्केन कर उपस्थिति पत्रक में चस्पा किये गये है। उनका यह कृत्य सिविल सेवा आरण नियम 1965 के नियम 3 (तीन) के विपरीत है।

(2) समिति के द्वारा जाँच में यह पाया कि मृत शिक्षकों के वेतन का आहरण संबंधित जिले के संकुल प्राचयों के द्वारा मृत्य दिनांक तक ही किया गया है । मृत्य दिनांक के पश्चात किसी भी शिक्षक का वेतन आहरण नहीं किया गया है । अतः स्पष्ट है कि उपस्थिति पत्रक को वेतन का आधार नहीं माना गया है ।

(3) समिति के द्वारा बी०एड० एवं एम०एड० की अन्य कक्षाओं के मृत शिक्षकों के वेतन के संबंध में जांच की गई और यह पाया कि किसी भी अन्य शिक्षक का मृत्यु दिनांक के बाद संबंधित जिले के संकुल प्राचयों के द्वारा वेतन का आहरण नहीं किया गया है।

3/8/21

अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(कक्ष - 4)

(4) श्रीमती सुनीता जैन व्याख्याता ने अपने स्पष्टीकरण में यह स्वीकार किया है कि कोरोना के कारण प्राचार्य के हस्ताक्षर कम्प्यूटर से स्केन कर उपस्थिति पत्रक में चस्पा किये गये हैं । उन्होंने लेख किया है कि कोविड –19 की विषम परिस्थिति के कारण उनसे यह गलती हुई है। संबंधित ने यह लेख किया है कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं की जावेगी । जाँच समिति ने कोविड –19 की विषम परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुऐ यह निर्णय लिया है कि श्रीमती सुनीता जैन व्याख्याता के विरुद्ध परिनिन्दा प्रस्ताव (चेतावनी पत्र) की शास्ति अधिरोपित की जाऐ।

निर्णय – जाँच समिति के निष्कर्ष के आधार पर श्रीमती सुनीता जैन व्याख्याता मध्यप्रदेश सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 (तीन) के अनुसार दोषी है । म.प्र. सिविल सेवा नियम 1966 (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) के भाग पाँच शास्तियाँ तथा अनुशाषित प्राधिकारी के अन्तर्गत नियम 10 (एक) के तहत परिनिन्दा की शास्ति अधोरोपित की जाती है। इसकी प्रविष्टि श्रीमती सुनीता जैन व्याख्याता की गोपनीय चरित्रावली में किया जाये । इसका विस्तृत विवरण सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक 2517–1673–1(III)/65 दिनांक 10.12.1965 में वर्णित किया गया है।

20/7/2021

(डॉ राम कुमार स्वर्णकार)
संयुक्त संचालक/प्राचार्य
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

पृ. क्र./आई.ए.एस.ई./जांच/2021/310 जबलपुर दिनांक 20/07/ 2021

प्रतिलिपि –

1. आयुक्त राज्य शिक्षा केन्द्र म.प्र. भोपाल को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत।
2. आयुक्त जबलपुर संभाग जबलपुर को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत
3. कलेक्टर महोदय जबलपुर की ओर सादर सूचनार्थ प्रेषित
4. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत जिला जबलपुर को सूचनार्थ सादर प्रस्तुत
5. जिला शिक्षा अधिकारी जिला जबलपुर को सूचनार्थ।
6. संबंधित ....को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।

20/7/2021
संयुक्त संचालक/प्राचार्य
शासकीय शिक्षा महाविद्यालय
जबलपुर

3/8/21
अनुभाग अधिकारी,
मध्य प्रदेश शासन,
स्कूल शिक्षा विभाग
(शिक्षा – 4)